न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : **23/18 (प्रा0पत्र)**

GCMS No. : 2018/00109

अनवान्

1. श्री छगनलाल पिता रूपा डांगी निवासी तुरकिया तहसील मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री रूपा पिता नारायण डांगी निवासी तुरकिया तहसील मावली।
2. श्री देवा पिता नारायण डांगी निवासी तुरकिया तहसील मावली।
3. श्री भुरा पिता नारायण डांगी निवासी तुरकिया तहसील मावली।
4. श्री चुना पिता नारायण डांगी निवासी तुरकिया तहसील मावली।
5. श्री मांगु पिता नारायण डांगी निवासी तुरकिया तहसील मावली।
6. श्रीमती सीमा पुत्री रूपा पत्नी किशन डांगी निवासी घासा तहसील मावली।
7. श्रीमती बबलीबाई पत्नी सोहनसिंह राजपूत निवासी अम्बेरी तहसील बडगांव।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
9. पटवारी, पटवार हल्का रख्यावल तहसील मावली।
10. उप पंजीयक अधिकारी मावली तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक :– 21.02.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा विठोली पटवार हल्का रख्यावल तहसील मावली की आराजी नम्बर 63/1 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 2 से 5, 7 के नाम संयुक्त रूप से हिस्सानुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकित हैं।
2. यह कि प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 से 6 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

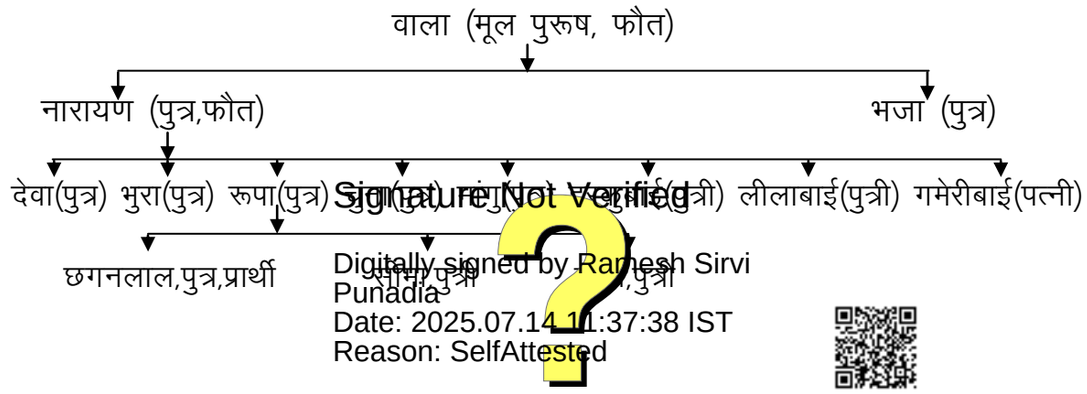

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:38 IST
Reason: SelfAttested

उक्त सजरे अनुसार वालाजी हमारे मूल पुरूष थे जिनके दो पुत्र नारायण एवं भजा हुए। नारायण जी का निधन हो चुका है जिनके पांच पुत्र देवा, भुरा, रूपा, चुना, मांगु एवं दो पुत्रीया हरकुबाई, लीलाबाई एवं पत्नी गमेरीबाई वारिस हुए। रूपा के वारिस पुत्र छगनलाल (प्रार्थी), पुत्रीयां सीमा, नीमा है जो सभी जीवित हैं।

3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात जो मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 की पैतृक सम्पति है जो पूर्व की राजस्व जमाबन्दी में हमारे मौरूस नारायण पिता वाला के नाम पर दर्ज थी तथा नारायण पिता वाला के निधनोपरान्त उक्त भूमि विरासत से उनके पुत्र देवा, भुरा, रूपा, चुना, मांगु एवं पुत्रीया हरकुबाई, लीलाबाई एवं पत्नी गमेरीबाई के नाम पर विरासत से अंकित हुई हैं। उक्त वर्णित पैतृक भूमि पर मुझ प्रार्थी का अपने हिस्सेनुसार कब्जा, उपयोग उपभोग चला आ रहा है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर अंकित होने का नाजायज फायदा उठा मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से की भूमि से वंचित करने की नियत से प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा विपक्षी संख्या 7 को नुमाईशी विक्रय पत्र के जरिये विक्रय कर दिया जबकि विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि में अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय करने का कोई हक व अधिकार नहीं था और न ही विपक्षी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार है। विपक्षी संख्या 7 के पक्ष में विपक्षी संख्या 1 ने जो विक्रय पत्र सम्पादित कराया है जो मुझ प्रार्थी के मुकाबले बेअसर व शून्य निष्प्रभावी है एवं विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में नुमाईशी विक्रय पत्र में वर्णित हिस्सेनुसार उक्त आराजीयात का कब्जा विपक्षी संख्या 7 को नहीं दिया है क्योंकि मौके पर विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज हिस्से की भूमि में अपने हिस्से से अधिक भूमि पर काबिज ही नहीं है तो अपने हिस्से से अधिक भूमि का कब्जा विपक्षी संख्या 7 को देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए मैं प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित पैतृक कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 7 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से मुझ प्रार्थी व विपक्षी संख्या 6 प्रत्येक के नाम हिस्सानुसार भूमि की घोषणा करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हूं। इसलिए माननीय न्यायालय आपमें वाद प्रस्तुत कर दिया हैं।

4. यह कि मुझ प्रार्थी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि हमारी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें मुझ प्रार्थी को जन्म से ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त हो गये है लेकिन उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज होने से विपक्षी संख्या 1 ने इसका नाजायज फायदा उठा विपक्षी संख्या 1 ने उक्त वर्णित कृषि भूमि में अपने हिस्से से अधिक भूमि का विपक्षी संख्या 7 के पक्ष में नुमाईशी विक्रय पत्र सम्पादित कर भूमि विक्रय कर दी और उक्त भूमि विपक्षी संख्या 7

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.07.04 14:37:38 IST
Reason: SelfAttested

ने अपने नाम पर रेकार्ड में भी अंकित करा दी है और अब विपक्षी संख्या 7 मौके पर आकर मुझ प्रार्थी को धमकी दे रही है कि जमीन से कब्जा हटा लेना वरना जबरन ताकत के बल पर तुम्हारा कब्जा हटा देगे। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि विपक्षी संख्या 1, 7 मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थी को भारी क्षति होगी और उसका मूल्यांकन रूपयो पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं।

5. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 01.02.2018 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण संख्या 1, 7 ने मौके पर आकर मुझ प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1, 7 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी को उसके हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे। विपक्षी संख्या 1, 7 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन कराने हेतु प्रस्तुत करे तो ताफैसला मूल वाद विपक्षी संख्या 10 पंजीयन नहीं करे व विपक्षी संख्या 8, 9 ताफैसला मूल वाद राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें।
6. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।
7. हमने प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
8. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:38 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 2 से 5, 7 के नाम पर संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज है। प्रकरण में प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा पैतृक सम्पति बताकर घोषणा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। चूंकि प्रकरण में विपक्षी सं. 2 से 5, 7 खातेदार काश्तकार है एवं खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग–उपभोग करने का पुरा पुरा अधिकार है, ऐसी स्थिति में खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा नही दी जा सकती है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।
2. *सुविधा का संतुलन* – चूंकि वाद वर्णित भूमि के खातेदार विपक्षी सं. 2 से 5, 7 है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुआ हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध में निर्णित किया जाता है।
3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार विपक्षी सं. 2 से 5, 7 है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वाद वर्णित भूमि मौजा विठोली पटवार हल्का रख्यावल तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 की खाता संख्या 116 पर दर्ज आराजी नम्बर 63/1 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि विपक्षी सं. 2 से 5, 7 के नाम पर दर्ज है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा अपनी पैतृक सम्पति बताकर घोषणा का वाद प्रस्तुत कर उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रकरण में विपक्षी सं. 1 प्रार्थी का पिता हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को विपक्षी संख्या 7 के पक्ष में विक्रय करना जाहिर होता हैं। प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 वर्तमान में उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। विपक्षी सं. 1 पूर्व में खातेदार काश्तकार होकर HUF कर्ता खानदान होने से विपक्षी सं. 1 को अपनी भूमि के उपयोग–उपभोग का पुरा अधिकार था। विपक्षी संख्या 7 द्वारा पूर्ण प्रतिफल अदा कर भूमि क्रय की हैं। विपक्षी संख्या 7 सद्भावी क्रेता हैं। प्रकरण में खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये गये है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:38 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:38 IST
Reason: SelfAttested